

विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक 284(ii)/रा0 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा नियमितिकरण करने हेतु अभिलेख प्राप्त है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार मुकुट मिश्रा पिता/पति धर्मप्रकाश मिश्रा ग्राम समसेरा को खास नोटिस निर्गत किया गया था। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार मुकुट मिश्रा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम समसेरा खाता संख्या 251 प्लॉट संख्या 1323, 1326 रकबा 0.282, 0.162, भूमि कानून 428/1990-91 का छायाप्रति प्रस्तुत किया था। के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि आवेदक के नाम से सक्षम प्राधिकार के द्वारा की गई है।

विषयगत भूमि का स्थल निरीक्षण संबंधित रा0उ0नि0, अं0 नि0 एवं अंचल अमीन के साथ किया। रा0उ0नि0 एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। अवलोकन किया गया। रा0उ0नि0 एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि पर आवेदक के परिवार का विगत 50 वर्षों से शांतिपूर्ण कब्जा है एवं उक्त भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। स्थानीय जाँच के दौरान ग्रामीणों ने भी प्रस्तावित भूमि पर आवेदक के दखल कब्जा की पुष्टि की है एवं लिखित बयान भी दिया है। आवेदक इन्द्रप्रकाश मिश्रा के अन्तर्गत उरांव जाति के सदस्य हैं। आवेदक के हिस्से में एकड़ भूमि पड़ता है। खतियान के अनुसार आवेदित भूमि का किस्म फसल है।

अतः सरकार के सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/राँची, दिनांक 21.12.2017 एवं पत्रांक 1704/रा0 राँची, दिनांक 15.07.2020 के आलोक में निम्नांकित भूमि को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) से मुक्त करते हुए मुकुट मिश्रा पिता/पति धर्मप्रकाश मिश्रा ग्राम समसेरा के नाम से नियमितिकरण करने की स्वीकृति दी जाती है :-

मौजा का नाम	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	खतियानी प्रविष्ट	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
समसेरा	67	251	1323 1326	0.282 0.162	उरांव मालिम	फसल जमीन

लेखापित

अचल अधिकारी,
बोलबा।
26/11/20

अचल अधिकारी,
बोलबा।
26/11/20